

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटकासिम (खैरथल-तिजारा)
 अनवान सत्यनारायण
 किस्म मुकदमा 53,188 बनाम श्री. वि. ट.

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज मु0न0 130 सन् 2024

23.04.2024

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हु
की तामील में जारी

वादी/अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 53,188 राज0काश्तकारी अधिनियम 1955 राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया है। जिस पर राजस्व लिपिक द्वारा जॉच रिपोर्ट ली जाकर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से सशुल्क तलबाना नोटिस अन्दर दो दिवस में पेश करे, अदम अनुपालना आदेश (वादी /अधिवक्ता द्वारा रजिस्टर्ड ए. डी. डाक से सशुल्क तलबाना पेश नहीं करने के संबंध में विधिपूर्वक समुचित कारण सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं तत्पश्चात् पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुज्ञेय अवधि हेतु शिथिलता दिये जाने की अवधि को छोडते हुये) दर्ज वाद पत्र काबिले खारिज होगा। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से सशुल्क तलबाना सम्मन जारी होकर पत्रावली अज अदालतेमाल के समक्ष वकालतन/असालतन पक्ष रखने हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.05.2024को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम

13/5/24

वकालत पेशी के उप0धीमान P.O. द्वारा
रीगर रकम कार्य में सुस्त हो। आयन्दा
पत्रावली दिनांक 01/7/24 को डाक
समक्ष पेश हो।

01/7/24 वादी एवं उसके वकील
उपस्थित नहीं हैं कर्त वाद रजिस्ट्र
कर आवाजे दिनांक 07/07/24 को ही
वादी की नाम से उपस्थित नहीं आया।
अपमय अदालत की सुमाति पर
मामल: वादी की उपपार-शति दर्ज
की जाइ वादी का वाद बा 54 हजार
- बा 54 पेशी के खारिज किया जाता है।
त दा पुकार वाद निरीह होकर वाद
त दबी उपजा 10 अमा के निरीक्षण करवा जावे।



उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (खैरथल-तिजारा) सज0